

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, वनमण्डल सा० रीवा (म.प्र.)

जयन्ती कुंज, झिरिया, रीवा E-Mail- dfot.rwa@mp.gov.in, Phone- 07662- 299135



Site Inspection By the DFO/ CF/ CCF

Sr. No.	Particular	Inspection Report BY DFO(T)
1.	Extent in hectares	2.80 hectares
2.	Location (Lat-Long) of the forest land proposed for Diversion	कक्ष क्र. पी एफ 399 वन परिक्षेत्र हनुमना वनण्डल रीवा।
		क्र. अक्षांश देशांतर
		1 N 24° 35'7.941" E 082° 0'26.204"
		2 N 24° 35'13.003" E 082° 0'27.096"
		3 N 24° 35'15.400" E 082° 0'34.671"
		4 N 24° 35'10.911" E 082° 0'30.950"
		5 N 24° 35'6.519" E 082° 0'24.950"
		6 N 24° 35'7.005" E 082° 0'24.603"
3.	Legal status of the forest land(Protected forest, Reserved forest, Revenue forest land or any other forest land)	Procted Forest P.F 399
4.	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	टम्परेरी एरिया का चिन्हांकन किया गया है।
5.	Any signs of encroachment	कोई भी अतिक्रमण नहीं है।
6.	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non forest land as part of the proposed project by the user agency. Details of action taken against the user agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.	कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।
7.	Status of vegetation, site quality, species composition etc.	साइड क्वालिटी VB है। प्रभावित वनभूमि कक्ष क्र. पी. एफ 399 में कुल 27 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।
8.	Importance of area from wildlife point of view, Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals any endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	Nil
9.	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area	Nil
10.	Current land use. Is this area managed as per prescriptions in the working plan and if not, why	उक्त क्षेत्र परिक्षेत्र हनुमना, बिगडे वनों का सुधार कार्य वृत्त (आर.डी.एफ.) में हर्रई प्रताप सिंह के पातन श्रेणी अंतर्गत आता है।
11.	Importance of the area from historical or religious point of view	None
12.	Any dependent persons/families on this land	Nil

Sr.		Inspection Report BY DFO(T)
13	Any displacement of persons proposed	Nil
14	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected? Is there any dissenting	Nil
15.		आवेदक द्वारा प्रकरण क्रमांक FP/MP/MIN/152429/2022 आवेदित रकवा 2. 80 हे. में से स्थल सत्यापन अनुसार प्रस्तावित रकवा 2.21 हे., प्रकरण क्रमांक FP/MP/MIN/152432/2022 रकवा 4.59 हे., प्रकरण क्रमांक FP/MP/MIN/152431/2022 रकवा 4.46 हे के बदले वनमण्डल दक्षिण सागर वन परिक्षेत्र देवरी के ग्राम पड़रईकला अंतर्गत खसरा नम्बर 261, 262, 263, 260, 258, 273, 276, 283/1/2, 285/2, 274, 265, 266, 267, 276, 264/1/2/3 कुल रकवा में से 12.50 हेक्टेयर भूमि वन विभाग के पक्ष में उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। वनमण्डलाधिकारी दक्षिण सागर के
		पत्र क्रमांक / मा.चि. / 06 / 2022 / 2374 दिनांक 08.07.2022 अनुसार प्रस्तावित गैर वनभूमि बीट पड़रई के कक्ष क्रमांक 1112 जिसका केनोपी कवर / घनत्व 0.5 एवं 0.6 है से लगी हुई है, जिसमें प्रस्तावित गैर वनभूमि में स्थित वन की स्थिति कक्ष क्रमांक 1112 के समानुपात है। उक्त गैर वनभूमि में सागौन (मुख्य) के अलावा पलाश, तेन्दू, महुआ एवं झाड लेंडिया इत्यादि प्रकार के मिश्रित वृक्ष एवं झाड देखे गये है लेख किया गया है।
16.	Proposal area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 Kms	आवेदित क्षेत्र वन परिक्षेत्र हनुमना के कक्ष क्र. पी. 399 रकवा 2.21 हे. अंतर्गत 10 कि.मी. की परिधि में कोई संरक्षित क्षेत्र स्थित नहीं है।
17.	Dependence of tribal in the area. Whether the rights of the tribal have been recognized in this area.	कोई भी ट्राइबल उक्त पर निर्भर नहीं है। न ही उनके कोई अधिकार प्रस्तावित क्षेत्र पर हैं।
18.	Utility of the project, including the people living in closed vicinity of the project	वहाँ रह रहे निवासियों एवं ग्रामीणों के लिए प्रस्ताव की उपयोगिता है।
19.	In case of renewal whether all the conditions stipulated N/A in the earlier sanction order have been complied with.	आवश्यक नहीं है।
20.	Alternatives examined by the user agency in case of non-site specific projects.	आवेदक द्वारा कोई भी वैकल्पिक परीक्षण नहीं किया गया है न ही उसके संबंध में कोई अभिलेख प्रस्तुत किया गया है।
21.	A certificate by the user agency that the forest land requested for diversion for non-forestry purpose is bare minimum.	आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्र न्यूनतम एवं आवश्यक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है किन्तु स्थल निरीक्षण अनुसार उक्त क्षेत्र के आस–पास राजस्व भूमि में खदाने संचालित है।

Sr. No.	Particular	Inspection Report by BY DFO(T)
22.	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected	खदान संचालित होने से 27 वृक्ष काटे जावेगें, जिनको सुरक्षित नहीं किया जा सकता।
23.	Any other issue of significance	नहीं
24.	Specific recommendations of the DFO with reason for approval of the project.	प्रस्तावित वनभूमि के आस—पास राजस्व भूमि में पूर्व से खदाने संचालित हैं। वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तावित प्रयोजन के उपयोगार्थ वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (2) के प्रावधानों के तहत अनुशंसित किया जाता है।

Divisional Forest Officer

Division: Rewa
Date: 20 40 2022